



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122024-259691
CG-DL-E-29122024-259691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1083]
No. 1083]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2024

फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी(04)/2023(ई-4451).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:-

1. लघु शीर्ष और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) तीसरा संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 में निम्न को शामिल किया जाएगा:-

(क) विनियमन (2) के उप-विनियम (1) के खंड (जी) के प्रथम परंतुक खंड में, “यदि अपेक्षित हो,…” से आरंभ होने वाले और “.....कम्प्रेसन (संपीडन) सुविधाएं” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“यदि आवश्यक हो, तो पीएनजीआरबी से पूर्व अनुमोदन के अधीन, प्राधिकृत कंपनी ‘बोर्ड’ की मंजूरी की तारीख से दो (02) वर्ष की प्रारंभिक अवधि तक ऐसे सिटी गैस स्टेशन (सीजीएस) में कम्प्रेसन सुविधाएं स्थापित और संचालित कर सकती है। ‘बोर्ड’ मामले-दर-मामलों के आधार पर सीजीएस में ऐसी कम्प्रेसन सुविधाओं के संचालन के लिए आगे विस्तार पर विचार कर सकता है। अनुमोदित अवधि की समाप्ति पर, प्राधिकृत कंपनी ऐसे कम्प्रेसन सुविधाओं का परिचालन तुरंत बंद कर देगी।”

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./852/2024-25]

पाद टिप्पणः

1. मुख्य विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(1) में दिनांक 27 अगस्त, 2008 की अधिसूचना फा०सं० जी.एस.आर. 612(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2009, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 (1) में दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना फा०सं० जी.एस.आर. 750 (ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2014 भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 16 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना फा०सं० एम (आई)/टी4एस/सीजीडी/1/2010 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, दिनांक 01 जनवरी, 2015 की अधिसूचना फा० सं० एल-विविध/VI/1/2007 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग-III, खंड 4, दिनांक 11 मार्च, 2016 की अधिसूचना फा०सं० एम(1)टी4एस/सीजीडी/1/2010 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, दिनांक 24 नवंबर, 2016 की अधिसूचना फा०सं० एम (आई)/टी4एस/सीजीडी/1/2010 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2019, भारत के राजपत्र में भाग III, खंड 4, दिनांक 19 नवंबर, 2019 की अधिसूचना फा०सं० पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(1)/2019 के तहत

प्रकाशित प्रकाशित किए गए थे।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र में भाग III, खंड 4, दिनांक 01 जुलाई, 2020 की अधिसूचना फा०सं० पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी(06)/2020 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र में भाग III, खंड 4, दिनांक 18 सितंबर, 2020 की अधिसूचना फा०सं० पीएनजीआरबी/टेक/1-टी4एससीजीडी/(1)/2020 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, दिनांक 8 सितंबर, 2021 की अधिसूचना फा०सं० पीएनजीआरबी/टेक/1-टी4एससीजीडी/(1)/2021 में प्रकाशित किए गए थे।
11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, दिनांक 16 फरवरी, 2024 की अधिसूचना फा०सं० पीएनजीआरबी/एयूटीएच/1-सीजीडी(04)/2023 में प्रकाशित किए गए थे।
12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) दूसरा संशोधन विनियम, 2004, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, दिनांक 25 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना फा०सं०पीएनजीआरबी/टेक/1-टी4एससीजीडी/(1)/2020 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd, December, 2024

F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (04)/2023 (E-4451).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely: -

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Third Amendment Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -
 - (1) In First Proviso to Clause (g) of sub-regulation (1) of Regulation (2), for the words beginning with “if required,” and ending with “...compression facilities”, the following shall be substituted, namely: -

“If required, subject to prior approval from PNGRB, the authorized entity may set up and operate compression facilities along with such CGS for an initial period of two (02) years from the date of

approval of the Board. Further extension for operating such compression facilities along with CGS may be considered by the Board, on case-to-case basis. Upon expiration of approved period, the authorized entity shall immediately cease the operation of such compression facilities.”

ANJAN KUMAR MISHRA Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./852/2024-25]

Foot Note:

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 27th August 2008, vide G.S.R. 612(E).
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2009, was published in Gazette of India, Part II, Sec.3(i) on 14th October 2009, vide G.S.R. 750(E).
3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 16th December 2014, vide F.No. M(I)/T4S/CGD/1/2010.
4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4, on 01.01.2015, vide F. No. L-MISC/VI/1/2007.
5. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 11th March 2016, vide F.No. M(1)T4S/CGD/1/2010.
6. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 24th November 2016, vide F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010.
7. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2019, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 19th November 2019, vide F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2019.
8. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 1st July 2020, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(06)/2020.
9. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Second Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 18th September 2020, vide F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2020.
10. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2021, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 8th September 2021, vide F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2021.
11. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2024, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 16th February 2024, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(04)/2023.
12. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Second Amendment Regulations, 2004, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 25th April 2024, vide F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2020.